न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या:— 52/2022
दायर दिनांक:— 20.05.2022
निर्णय दिनांक:— 23.06.2022

उनवान

1. श्री माधव लाल पिता भगवान लाल जाट निवासी पटोलिया।
2. श्री शंकरलाल पिता भगवानलाल जाट निवासी पओलिया।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री बहादूर सिंह पिता नाथू सिंह राजपुत निवासी कांकरवा।
2 श्री किशन लाल पिता रतन लाल जाट निवासी पटोलिया।
3 श्री देवी लाल पिता रतन लाल जाट निवासी पटोलिया।
4 श्री शंकरलाल पिता रतन लाल जाट निवासी पटोलिया।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार—बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **पटोलिया** पटवार हल्का **पटोलिया** तहसील भूपालसागर की **आराजी संख्या 2022 रकबा 0.04 है.आ0सं0 2565/407 रकबा 0.03 है. आ0सं0 404 रकबा 1.10 है. आ0सं0 405 रकबा 0.40 है. आ0सं0 406 रकबा 0.74 है.आ0सं 407 रकबा 0.04 है. आ0सं0 408 रकबा 0.83 है. आ0सं0414 रकबा 1.04 है. आ0सं0 452 रकबा 0.03 है. आ0सं0 466 रकबा 2.21 है. आ0सं 467 रकबा 0.11 है. आ0सं0 468 रकबा 0.09 है. आ0सं0 469 रकबा 0.04 है. आ0सं0 470 रकबा 0.19 है. आ0सं0 471 रकबा 0.07 है. आ0सं0 472 रकबा 0.51 है. आ0सं0 473 रकबा 0.45 है. आ.सं. 474 रकबा, 0.14 है. आ.से. 475 है. रकबा 0.70 है. आ.सं. 476 रकबा 0.64 है. आ.सं. 477 रकबा 0.08 है. आ.सं.478 रकबा 1.10 है. आ.सं. 479 रकबा 0.83 है. आ.सं. 480 रकबा 0.40 है. आ.सं. 481 रकबा 1.20 है. आ.सं 483 रकबा 0.04 है. आ.सं. 484 रकबा 0.57 है.** . भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने [illegible] में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई [illegible] अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क [illegible] विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस [illegible] साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई [illegible]। इस आशय बाबत त[illegible] जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल [illegible]र हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.27 12:31:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **23.06.2022** को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला -चित्तौडगढ (राज.)